न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
42 / 2020 प्रा.पत्र / 2020	10.06.2020	07.08.2025

डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री अमोलक चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महेन्द्र किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास झिराना तह. पीपलू जिला टोंक (राज.) निवासी बस स्टैण्ड के पास झिराना तह. पीपलू जिला टोंक (राज.) पिनकोड–304801

2–मैसर्स महेन्द्र किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास झिराना तह. पीपलू जिला टोंक (राज.)

3–श्री गप्पूलाल जैन पुत्र श्री चन्दा लाल जैन निवासी शिवाजी पार्क रोड निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स गप्पू लाल महावीर प्रसाद एण्ड कम्पनी शिवाजी पार्क रोड झिलाई रोड निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021

4–मैसर्स गप्पू लाल महावीर प्रसाद एण्ड कम्पनी शिवाजी पार्क रोड झिलाई रोड निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021

5–श्री श्याम बिहारी अग्रवाल निवासी 34–35, शान्ति सदन वराह जी की गली, गणगौरी बाजार जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स गोविन्द बल्लभ एण्ड कम्पनी वराह जी का चौक, दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार जयपुर राज.। पिनकोड–302001

6–मैसर्स गोविन्द बल्लभ एण्ड कम्पनी वराह जी का चौक, दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार जयपुर राज.। पिनकोड–302001

7–श्री रामलखन पुत्र श्री राधेश्याम निवासी वार्ड नं. 4, ब्राह्मण मोहल्ला, खरखोदा, सोनीपत, खरखौदा हरियाणा प्रोपरायटर मैसर्स श्री कृष्णा डेयरी मिल्क एण्ड फूड बहादुर गढ रोड एसआइटी ऑफिस के पास, खरखौदा, सोनीपत हरियाणा। पिनकोड–131402

8–मैसर्स श्री कृष्णा डेयरी मिल्क एण्ड फूड बहादुर गढ रोड एसआइटी ऑफिस के पास, खरखौदा, सोनीपत हरियाणा। पिनकोड–131402

...........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभि. अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्री विजेन्द्र गोयल एड.
एवं अभिभाषक अप्रार्थी सं. 7 व 8 श्री तेजमल जैन उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 07/8/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.10.2019 को समय बाद दोपहर 03:31 पी.एम. पर मैसर्स महेन्द्र किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास झिराना तह. पीपलू जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विक्रेता की हैसियत से श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री अमोलक चन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स महेन्द्र किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास झिराना तह. पीपलू जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री अमोलक चन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री अमोलक चन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु गुड, घी, अलग–अलग ब्राण्ड, शक्कर, तेल आदि अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **घी श्री कृष्णा डेयरी ब्राण्ड (Ghee Shri Krishna Dairy Brand)** अलग–अलग 449–449 ग्राम के 16 सील्ड पैक दुकान में रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री अमोलक चन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री अमोलक चन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह **घी श्री कृष्णा डेयरी ब्राण्ड (Ghee Shri Krishna Dairy Brand)** जिसके बैच/लोट नं. एसकेडी 0019 एवं पैकिंग की दिनांक जुलाई–2019 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 449–449 ग्राम के चार मूल पैक नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी श्री कृष्णा डेयरी ब्राण्ड (Ghee Shri Krishna Dairy Brand)** 449–449 ग्राम के चार मूल पैक को अलग–अलग ज्यों का त्यों लेकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियामनुसार लेबल तैयार कर, प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया एवं प्रत्येक लबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–2312 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2312 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री अमोलक चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महेन्द्र किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास झिराना तह. पीपलू जिला टोंक (राज.) ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स गप्पू लाल महावीर प्रसाद एण्ड कम्पनी शिवाजी पार्क रोड झिलाई रोड निवाई का वारन्टी बिल पेश किया। मैसर्स गप्पू लाल महावीर प्रसाद एण्ड कम्पनी के व्यवहारी ने मैसर्स गोविन्द बल्लभ एण्ड कम्पनी वराह जी का चौक, दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार जयपुर राज. का एवं मैसर्स गोविन्द बल्लभ एण्ड कम्पनी ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्री कृष्णा डेयरी मिल्क एण्ड फूड बहादुर गढ रोड एसआइटी ऑफिस के पास, खरखौदा, सोनीपत हरियाणा का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/2376 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एलएस/2303/एक्ट/2019/1844 दिनांक 23.10.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी श्री कृष्णा डेयरी ब्राण्ड (Ghee Shri Krishna Dairy Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी श्री कृष्णा डेयरी ब्राण्ड (Ghee Shri Krishna Dairy Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी श्री कृष्णा डेयरी ब्राण्ड (Ghee Shri Krishna Dairy Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म से क्रय किया था अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 6 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 7 व 8 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/8/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक